

आदेश

सहायक पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में दिनांक- 06.03.2019 को आयोजित केन्द्रीय पर्सद की बैठक में पुर्नसमीक्षा उपरांत प्रोन्नति हेतु योग्य पाये गये निम्नांकित सहायक पुलिस अवर निरीक्षकों को उनके नाम के सामने कंडिका-05 में अंकित तिथि से पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में औपबधिक रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए कंडिका-06 में अंकित जिला/इकाई में तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है। प्रोन्नत पद पर आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा:-

क्र० सं०	स०अ०नि० का नाम/ आरक्षण कोटि	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की देय तिथि	प्रोन्नति के बाद पदस्थापन
1	2	3	4	5	6
1	मो० एजाज खॉं/ सामान्य	गाजीपुर यू०पी०	सीतामढ़ी	05/12/2018	सीतामढ़ी
2	विजय कुमार--3/ पिछड़ा वर्ग	नालंदा	सीतामढ़ी	05/12/2018	सीतामढ़ी
3	मालती कुमारी/ पिछड़ा वर्ग	रोहतास	सीतामढ़ी	05/12/2018	सीतामढ़ी
4	अरविन्द कुमार दोहरे/ अनु० जाति	इटावा यू०पी०	सीतामढ़ी	05/12/2018	सीतामढ़ी
5	लज्जन किशोर साह/ सामान्य	बेगूसराय	पटना	05/12/2018	पटना
6	उमरॉव सिंह सामान्य	रोहतास	पटना	05/12/2018	पटना
7	मो० सलाउद्दीन/ सामान्य	सारण	पटना	05/12/2018	पटना
8	सुशील कुमार वर्मा/ सामान्य	मधेपुरा	पटना	05/12/2018	पटना
9	विजय कुमार सिंह अति पिछड़ा वर्ग	भागलपुर	पटना	05/12/2018	पटना
10	ब्रह्मेश्वर नाथ सिंह सामान्य	रोहतास	पटना	05/12/2018	पटना
11	जावेद एकबाल सामान्य	भोजपुर	पटना	05/12/2018	पटना
12	राजेन्द्र राम/ अनुजाति	भोजपुर	बेगूसराय	05/12/2018	बेगूसराय
13	सुधीर कुमार श्रीवास्तव/ सामान्य	सारण	अप०अनु० विभाग	05/12/2018	अप०अनु० विभाग
14	सुधीर कुमार सिंह/ सामान्य	पटना	अप०अनु० विभाग	05/12/2018	अप०अनु० विभाग
15	अमलेश प्रसाद / सामान्य	नालंदा	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा
16	विजेन्द्र नाथ सिंह/ पिछड़ा वर्ग	पटना	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा
17	मनोज कुमार/ पिछड़ी	भोजपुर	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा
18	मणोचन्द्र पाण्डेय / सामान्य	सिवान	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा
19	नागेन्द्र नाथ पाठक / सामान्य	पलामू	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा

20	रंजीत प्रसाद सिंह / सामान्य	समस्तीपुर	विशेष शाखा	05/12/2018	विशेष शाखा
21	नसरुद्दीन अंसारी / अ0पि0वर्ग	सिवान	पटना	05/12/2018	पटना

यह प्रोन्नति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है:-

1. यदि कोई नव प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षक हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा / पी0टी0सी0 उत्तीर्ण नहीं हो या उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन में हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह प्रोन्नति देय नहीं होगी। ऐसे मामलों में प्रक्षेत्रादेश/क्षेत्रादेश/जिलादेश रोककर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।
2. संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक इन सहायक अवर निरीक्षकों की सेवापुस्तिका में प्रविष्टियों की जाँच अपने स्तर से पुनः कर लेंगे एवं कोई प्रतिकूल सेवाभिलेखादि प्रकाश में आता है तो प्रोन्नति रोककर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. यदि किसी वरीय सहायक अवर निरीक्षक का मामला पुलिस अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति हेतु प्रकाश में आता है तो उस स्थिति में इस प्रोन्नत्यादेश में आवश्यक संशोधन किया जायेगा तथा रिक्ति के अनुसार कनीय को सहायक अवर निरीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
4. ऐसे सहायक अवर निरीक्षक जो सम्पुष्टि की अहर्ताएँ पुरी करते हैं फिर भी उनकी सेवा सम्पुष्टि नहीं हो सकी है, जो उनकी सेवा सम्पुष्टि करते हुए प्रोन्नति का जिलादेश/क्षेत्रादेश निर्गत होगा।
5. मनोनयन प्राप्ति के बाद नव प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षक का स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया हो तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत पदाधिकारी का जिलादेश/क्षेत्रादेश/प्रक्षेत्रादेश उनके वर्तमान पदस्थापन से निर्गत होगा।
6. यह औपबधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0सी0 सं0-29770/2015 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य के मामलों में पारित किये जाने वाले न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
7. प्रोन्नति से फलित आर्थिक लाभ नये पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।
8. उक्त प्रोन्नति ओदश का अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाय।

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

Kundankar
06/12/18
अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 306/...../पी-2

7-2/1-4-2019

दिनांक - 06.03.20

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

1. सभी सम्बन्धित पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (रेलवे एवं सभी इकाई सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
26/3/20

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

306